न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 141/2016

उनवान

1. रोशन आरा पत्नी हेदर अली जाति मुसलमान निवासी किशनपुरा तारागढ रोड, अजमेर हाल नि0 स्कीम नंबर 8, अग्रसेन स्कूल के पास, बगाना, नीमच मध्य प्रदेश

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. भागचंद पुत्र मंगला जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद,
2. यूनियन बैंक आफ इण्डिया जरियें प्रंबधक भवानीखेडा, नसीराबाद
3. उप पंजीयक, नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत
2 जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन
3 व 4 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 15.9.21

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के वंर्किग खसरा नम्बर 2746 रकबा 2–0–0 की भूमि वादी ने जरियें पंजीबद्व बेनामा दिनांक 19. 11.1966 को खातेदार मंगला पुत्र घीसा व छीतर पुत्र बाला से खरीद कर कब्जा व दखल प्राप्त किया था। उक्त आराजी में छीतर पुत्र बाला के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 673/ 20.04.16 से वादी के पक्ष में अंकन कर दिया। किन्तु उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2974 रकबा 0.16 में मंगला पुत्र घीसा के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज नही किया गया। मंगला पुत्र घीसा की मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर गैर कानूनी तरीके से ऋण प्राप्त कर लिया है जिस कारण उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी पर ऋण लेने का कोई अधिकार नही था। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज थी ?

—— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है? अतः वादिया विक्रय पत्र अनुसार खातेदारी प्राप्ति की अधिकारी है ?

—— वादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने प्रकरण में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा रोशन की साक्ष्य पेश की। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश नही किया है दावे में कोई खण्डन नही होने से वाद स्वीकार योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादी का आराजी मुतनाजा पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य वारिसों का भी हक व अधिकार होने से मंगला पुत्र घीसा द्वारा किया गया विक्रय आरम्भ से ही शून्य है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी पर ऋण ले रखा है।प्रतिवादी संख्या 1 की बहन शीला द्वारा उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय नसीराबाद में वाद दायर कर रखा है। अतः वाद सव्यय खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

वादी ने दिनांक 19.11.96 को वंर्किग खसरा नम्बर 2746 रकबा 2—0—0 की आराजी मंगला पुत्र घीसा व छीतर पुत्र बाला से जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र कय की थी। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी विक्रेता के नाम खातेदारी दर्ज थी। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से उक्त आराजी वादी की विधिक कयशुदा सिद्व होती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :—

आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है। वंर्किग खसरा नम्बर 2746 के हाल खसरा नम्बर 2974 रकबा 0.32 बने है। हाल राजस्व अभिलेख में विक्रेता छीतर पुत्र बाला का हिस्सा उसके वारिसों के नाम व मंगला पुत्र घीसा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 673 दिनांक 24.04.16 द्वारा छीतर के वारिसों का हिस्सा विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम दर्ज हो गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 2974 रकबा 0.32 में अपने हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण प्राप्त कर लिया जिस कारण नामान्तकरण संख्या 503/20.03.15 से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज किया गया जिस कारण मंगला पुत्र हिस्सा की आराजी पर वादी का नाम दर्ज नही किया गया। तत्कालीन खातेदारों ने आराजी मुतनाजा का विक्रय वादी से प्रतिफल राशि प्राप्त कर किया था। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि आराजी मुतनाजा पैतृक होने के कारण उनके पिता को बैचान का अधिकार नही था। किन्तु प्रतिवादी ने वाद के खण्डन हेतु कोई जवाब अथवा प्रतिदावा पेश नही किया है। साथ ही विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजी पर ऋण लेने/देने का कोई विधिक अधिकार नही था। अतः आराजी मुतनाजा का ... सिद्ध होता है वादी उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति की अधिकारणी है। ... विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

——3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

उक्तानुसार ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2974 रकबा 0.32 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रोशन आरा बनाम भागचंद

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 141/2016
पेश करने की दिनांक – 16.08.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर नौरतमल जैन अभिभाषक मुद्दई रमेश रावत व राज पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 2974 रकबा 0.32 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 15 माह 09 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner